संख्या-5/2016/168/ई-1/तेरह-2016-499(6)/2014

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।
आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 02 फरवरी, 2016

विषयः- जनपद गोरखपुर में कार्यालय भवन के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- सी 1275/तीन-लेखा/160, दिनांक 23 जुलाई, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. जनपद गोरखपुर में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के आगणन का परीक्षण एवं मूल्यांकन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के अनुक्रम में कार्यालय आदेश संख्या- 1367 ई-1/तेरह-2015-499(6)/2014 दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त आगणन की धनराशि रू0 209.84 लाख की संस्तुति की गई (संस्तुत आगणन की प्रति संलग्न है) ।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में कार्यालय भवन का निर्माण कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित आगणन पर समिति द्वारा संस्तुति की गई धनराशि रू0 209.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध धनराशि रू0 183.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में संस्तुत आगणन की धनराशि रू0 209.84 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 104.92 लाख को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त निर्माण कार्य के आगणन में उल्लिखित ए0सी0 तथा फर्नीचर आदि में होने वाला व्यय सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विभागीय सहमति से अनुमोदन प्राप्त करके किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सक्षम स्तर से आगणित निर्माण लागत की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

(4) कार्य की विशिष्टता, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा आबकारी आयुक्त यह सुनिश्चित् करेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इसी चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित् किया जाय। प्रथम किश्त की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। कार्य पूर्ण हो जाने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जायें।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि, जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत सुनिश्चित् किये जाने तथा निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता के पर्यवेक्षण का दायित्व आबकारी आयुक्त, वित्त नियंत्रक एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी का होगा।

4. प्रस्तर-3 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-1 (आयोजनेत्तर) के लेखाशीर्षक-"4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01 कार्यालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवन,051-निर्माण, 09- जनपद गोरखपुर में कार्यालय भवन का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त।

(सुनील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या- 5/2016/168 (1) ई-1/तेरह-2016-499(6)/2014 दिनांक 02 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग ।
4. मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
5. सम्बन्धित उप/संयुक्त आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।